समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प, भोपाल

निगरानी-6420/2018/सीहोर/भू.रा. प्रकरण क्र. /2017-18

जगदीश प्रसाद आ. श्री गोपीलाल अहीर,
निवासी– ग्राम पथोड़ा, तहसील रेहटी,
जिला सीहोर (म.प्र.) .... आवेदक

विरुद्ध

1. महेश प्रसाद आ. श्री देवेन्द्र कुमार
2. संतोष आ. श्री देवेन्द्र कुमार
   निवासीगण– ग्राम पथोड़ा, तहसील रेहटी,
   जिला सीहोर (म.प्र.) .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 152/अ/16–17 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है :–

प्रकरण के तथ्य

अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बुधनी, जिला सीहोर द्वारा प्रकरण क्र. 35/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2017 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम पथोड़ा, तहसील रेहटी स्थित भूमि खसरा क्र. 5/1 रकबा 3.035 हेक्टेयर एवं खसरा क्र. 5/5 रकबा 0.405 हेक्टेयर का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर विधिवत प्रकरण क. 28/अ–12/2012–13 पंजीबद्ध हुआ और दिनांक 22.05.2012 को पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया था एवं सीमांकन में खसरा क्र. 5/1 के अंश भाग रकबा 0.162 हेक्टेयर पर अनावेदक महेश प्रसाद एवं इसी खसरा नम्बर के अंश भाग रकबा 0.203 हेक्टेयर पर अनावेदक संतोष कुमार तथा खसरा क्र. 5/5 के अंश भाग 0.040 हेक्टेयर पर अनावेदक महेश प्रसाद का अनाधिकृत आधिपत्य पाया गया था। अनावेदकगण द्वारा सीमांकन कार्यवाही दिनांक 22.05.2012 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और सीमांकन कार्यवाही दिनांक 22.05.2012 अंतिम हो चुकी है। आवेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही दिनांक 22.05.2012 के आधार पर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रेहटी के समक्ष अनावेदकगण से उसके स्वत्व की भूमि का अनाधिकृत आधिपत्य वापिस दिलाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्र. 3/अ–70/12–13 के रूप में पंजीबद्ध हुआ तथा उभय पक्ष को विधिवत

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-6420/2018/सीहोर/भू.रा.सं. सीहोर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-4-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	